

प्रेसनोट दिनांक 03.04.2021

1. दिनांक 02.04.21 को वादी श्री रामाशीष यादव पुत्र कन्हई लाल नि० चितई का पुरवा थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 42 एपी 8694 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर संदीप को टक्कर मारकर गम्भीर रूप से घायल कर देना। जिसके संबंध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 220/21 धारा 279, 337, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 02.04.21 को वादी उ०नि० श्री विवेक कुमार राय थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रंजीत निषाद पुत्र दधिबल नि० पलिया साहब्दी थाना कैण्ट अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 60 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु०अ०सं० 152/21 धारा 60(1) आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 02.04.21 को वादी उ०नि० श्री राजेश कुमार मिश्रा थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अंगद यादव पुत्र बलधारी यादव नि० मुमताजनगर थाना कैण्ट अयोध्या आदि 02 नफर अभि०गण द्वारा आदर्श आचार संहिता पंचायत निर्वाचन 2021 व धारा 144 द०प्र०सं० का उल्लंघन कर गाड़ी पर साउण्ड व पोस्टर लगाकर प्रचार करना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु०अ०सं० 153/21 धारा 188, 171 जी भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 02.04.21 को वादी उ०नि० श्री राजेश कुमार मिश्रा थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि गजराज पासी जिला पंचायत प्रत्याशी आदि 02 नफर अभि०गण द्वारा आदर्श आचार संहिता पंचायत निर्वाचन 2021 व धारा 144 द०प्र०सं० का उल्लंघन कर गाड़ी पर साउण्ड व पोस्टर लगाकर प्रचार करना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु०अ०सं० 154/21 धारा 188, 171 जी भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 02.04.21 को वादी उ०नि० श्री संदीप त्रिपाठी थाना कैण्ट अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि राजेश निषाद पुत्र ध्रुवचन्द नि० रेतिया थाना कैण्ट अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु०अ०सं० 155/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 02.04.21 को वादी उ०नि० श्री विवेक कुमार सिंह थाना को०अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रामू मांझी पुत्र स्व० राम भवन नि० रामपुर हलवारा थाना को०अयोध्या अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 170/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 02.04.21 को वादी उ०नि० श्री रजनीश कुमार पाण्डेय थाना को०अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रामेश्वर सिंह पुत्र. मिट्टू नि० खिदिदरपुर थाना को०बीकापुर अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 171/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 02.04.21 को वादी उ०नि० श्री अमित शंकर यादव थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि हरिनाथ पुत्र आशाराम नि० सनेथू थाना पूराकलन्दर अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 40 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 123/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
9. दिनांक 02.04.21 को वादी उ०नि० श्री देवेन्द्र नाथ राय थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राम प्रताप पुत्र नन्दलाल नि० रूपीपुर सारंगापुर थाना रौनाही अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 155/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
10. दिनांक 02.04.21 को वादी उ०नि० श्री अश्वनी कुमार सिंह थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि बिल्लू पुत्र लक्ष्मण नि० जिल्ला मजरे चकवारा थाना रौनाही अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर

कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 156/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

11. दिनांक 02.04.21 को वादी उ0नि0 श्री संजय कुमार सिंह थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि दीपक कुमार उर्फ दूधू पुत्र छीटन नि0 बरिया टोला थाना रौनाही अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 40 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 157/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

12. दिनांक 02.04.21 को वादी उ0नि0 श्री अरुण कुमार सिंह थाना को0बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि पंकज कुमार पुत्र हरिनाथ नि0 बोधी पट्टी थाना सिगरामऊ जनपद जौनपुर गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 151/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

13. दिनांक 02.04.21 को वादी उ0नि0 श्री अरुण कुमार सिंह थाना को0बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शौकत अली पुत्र दीन मोहम्मद नि0 आनापुर नरायनगंज थाना चॉदा सुलतानपुर गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 152/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

14. दिनांक 02.04.21 को वादी उ0नि0 श्री अरुण कुमार सिंह थाना को0बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि योगेन्द्र मिश्रा पुत्र देवनाथ मिश्रा नि0 महरानी पश्चिम थाना चॉदा सुलतानपुर गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 153/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

15. दिनांक 02.04.21 को वादी उ0नि0 श्री अरुण कुमार सिंह थाना को0बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अभिषेक कुमार पुत्र बैताली नि0 आनापुर नरायनगंज थाना चॉदा सुलतानपुर गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 154/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

16. दिनांक 02.04.21 को वादी श्री रमेश कुमार पुत्र जवाहर लाल नि0 बसंती का पुरवा थाना हैदरगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राम बचन पुत्र राम किशोर नि0 बसंती का पुरवा थाना हैदरगंज अयोध्या आदि 03 नफर अभि0गण द्वारा वादी को मारना पीटना, गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु0अ0सं0 70/21 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

17. दिनांक 02.04.21 को वादी उ0नि0 श्री सुधाकर सिंह थाना हैदरगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सुनील वर्मा पुत्र राम बचन वर्मा नि0 मयंदीपुर थाना हैदरगंज अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु0अ0सं0 71/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

18. दिनांक 02.04.21 को वादी उ0नि0 श्री दिवाकर कुमार थाना हैदरगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अखिलेश यादव पुत्र राजेश यादव नि0 कुर्रा डहवा थाना भीटी अम्बेडकरनगर गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु0अ0सं0 72/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

19. दिनांक 02.04.21 को वादी उ0नि0 श्री थीरेन्द्र कुमार आजाद थाना हैदरगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वीरेन्द्र यादव पुत्र राम बहोर यादव नि0 कुर्रा डहवा थाना भीटी अम्बेडकरनगर गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु0अ0सं0 73/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

20. दिनांक 02.04.21 को वादी उ0नि0 श्री बबलू कुमार थाना तारुन अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि बाल मुकुन्द दूबे पुत्र केशव प्रसाद दूबे नि0 बेनीपुर थाना पूराकलन्दर अयोध्या अभियुक्त द्वारा बिना अनुमति के वाहन पर लाउडस्पीकर लगाकर प्रचार कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना। जिसके संबंध में थाना तारुन में मु0अ0सं0 81/21 धारा 188, 171ज भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

21. दिनांक 02.04.21 को वादी उ0नि0 श्री रणजीत यादव थाना तारुन अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सुरेश तिवारी पुत्र शेषमणि तिवारी नि0 अहिरौला थाना हैदरगंज अयोध्या अभियुक्त द्वारा बिना अनुमति के वाहन पर लाउडस्पीकर लगाकर प्रचार कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना। जिसके संबंध में थाना तारुन में मु0अ0सं0 82/21 धारा 188, 171ज भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
22. दिनांक 02.04.21 को वादी उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना तारुन अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वीरेन्द्र दूबे पुत्र राम बदन दूबे नि0 सफीपुर खोखवा थाना को0बीकापुर अयोध्या अभियुक्त द्वारा बिना अनुमति के वाहन पर लाउडस्पीकर लगाकर प्रचार कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना। जिसके संबंध में थाना तारुन में मु0अ0सं0 83/21 धारा 188, 171ज भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
23. दिनांक 02.04.21 को वादी उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना तारुन अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि ताबिस पुत्र मो0 जिहाउद्दीन नि0 31 रीडगंज थाना को0नगर अयोध्या आदि 02 नफर अभियुक्त द्वारा बिना अनुमति के वाहन पर लाउडस्पीकर लगाकर प्रचार कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना। जिसके संबंध में थाना तारुन में मु0अ0सं0 84/21 धारा 188, 171ज भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
24. दिनांक 02.04.21 को वादी उ0नि0 श्री जय किशोर अवस्थी थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राजेन्द्र यादव उर्फ चौधरी पुत्र नान्हू यादव नि0 मिचकुरही महलारा थाना इनायतनगर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 148/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
25. दिनांक 02.04.21 को वादी उ0नि0 श्री राम अवतार राम थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शिव कुमार पुत्र श्रीराम नि0 बरई सरैया थाना इनायतनगर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 50 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 150/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
26. दिनांक 02.04.21 को वादी व0उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार सिंह थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राजेश कुमार पुत्र खेदरू नि0 पूरे गौरन मिल्कीपुर थाना इनायतनगर अयोध्या जिला पंचायत/ ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर प्रचार प्रसार करना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 151/21 धारा 188, 171 एच भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
27. दिनांक 02.04.21 को वादी उ0नि0 श्री अक्षय कुमार पटेल थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अनिल पुत्र सीताराम नि0 देवरिया थाना इनायतनगर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 152/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
28. दिनांक 02.04.21 को वादी उ0नि0 श्री शैलेश कुमार त्रिवेदी थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राजकुमार पुत्र राम निरंजन कौशल नि0 मिल्कीपुर थाना इनायतनगर अयोध्या जिला पंचायत पद के प्रत्याशी द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर प्रचार प्रसार करना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 153/21 धारा 188, 171 एच भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
29. दिनांक 02.04.21 को वादी उ0नि0 श्री आशीष कुमार यादव थाना कुमारगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि बल्लू पासी पुत्र हरि प्रसाद पासी नि0 तिंदौली थाना कुमारगंज अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु0अ0सं0 117/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
30. दिनांक 02.04.21 को वादी उ0नि0 श्री आशीष कुमार यादव थाना कुमारगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मंशाराम पुत्र हरी प्रसाद नि0 तिन्दौली थाना कुमारगंज अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद चाकू नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु0अ0सं0 118/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
31. दिनांक 02.04.21 को वादी उ0नि0 श्री राम नरेश वर्मा थाना कुमारगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि कुलदीप पासी पुत्र नकछेद नि0 सुरती का पुरवा देवगाँव थाना कुमारगंज अयोध्या गिर0 अभियुक्तके कब्जे से 20

लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु0अ0सं0 119/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

32. दिनांक 02.04.21 को वादी उ0नि0 श्री राम नरेश वर्मा थाना कुमारगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि संदीप पासी पुत्र नकछेद नि0 सुरती का पुरवा देवगाँव थाना कुमारगंज अयोध्या गिर0 अभियुक्तके कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु0अ0सं0 120/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

33. दिनांक 02.04.21 को वादी उ0नि0 श्री उमेश कुमार वर्मा थाना कुमारगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि बीरू पुत्र बाबूराम नि0 सराय धनेठी थाना कुमारगंज अयोध्या गिर0 अभियुक्तके कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु0अ0सं0 121/20 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

34. दिनांक 02.04.21 को वादी उ0नि0 श्री हरिश्चन्द्र यादव थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि दयानन्द पुत्र प्रहलाद नि0 डलईमऊ थाना मवई अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 56/21 धारा 60(1) आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

35. दिनांक 02.04.21 को वादी उ0नि0 श्री हरिश्चन्द्र यादव थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि संदीप सिंह पुत्र राम प्रवेश नि0 डलईमऊ थाना मवई अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 57/21 धारा 60(1) आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

36. दिनांक 02.04.21 को वादी उ0नि0 श्री अभिषेक त्रिपाठी थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शिवनाथ पुत्र शिव चरन नि0 मोहली थाना खण्डासा अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 58/21 धारा 60(1) आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

37. दिनांक 02.04.21 को वादी श्री राम उजागिर पुत्र शिव चरन नि0 डेहवा पूरे कलहंश थाना को0रुदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सुखलाल पुत्र बेचूलाल नि0 डेहवा पूरे कलहंश थाना को0रुदौली अयोध्या आदि 04 नफर सड़क पर शौच करने की बात को लेकर अभि0गण द्वारा मारना पीटना, गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना को0रुदौली में मु0अ0सं0 152/21 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

38. दिनांक 02.04.21 को वादी उ0नि0 श्री वीरेन्द्र कुमार पाल थाना को0रुदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि दीपक यादव पुत्र संतोष कुमार यादव नि0 अहमदपुर थाना सिधौली जनपद सीतापुर गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0रुदौली में मु0अ0सं0 154/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

39. दिनांक 02.04.21 को वादी उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना मवई अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि पवन मिश्रा पुत्र अशोक कुमार मिश्रा नि0 जरौली थाना असन्दरा बाराबंकी गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 03 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु0अ0सं0 79/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

40. दिनांक 02.04.21 को वादी उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना मवई अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि कांशीराम पुत्र दुखी नि0 गनेशपुर थाना मवई अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 40 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु0अ0सं0 80/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

41. दिनांक 02.04.21 को वादी उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना मवई अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि नाथू राम गौतम पुत्र कालीदीन नि0 देवईत थाना मवई अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु0अ0सं0 81/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

42. दिनांक 02.04.21 को वादी उ०नि० श्री अशोक कुमार थाना मवई अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रामपाल रावत पुत्र राजाराम रावत नि० देवईत थाना मवई अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु०अ०सं० 82/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।